दिनांक	कार्यवाही
07-1-20	पत्रावली पेश हुई। सरकार पैरोकार उपस्थित। अप्रार्थीगण (विवादी) की तलबी आज भी पेश नहीं की जाना जाहिर है। न्यायालय मत पर पत्रावली आदेश में ली जाकर अवलोकन किया गया। वादी (प्रार्थी) द्वारा यह वाद वर्ष 2014 में विरुद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा राज० काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 171 का पेश किया गया। प्रार्थी वादी को न्यायालय ने अप्रार्थीगण की तलबी/तलबाना पेश करने हेतु लगभग 30-31 अवसर बार-बार हिदायत की जाकर दिये गये हैं जबकि जहाँ समन तामील के बिना लौटने के पश्चात सात दिन तक समन के लिए आवेदन करने में वादी असफल रहता है तो वहां वाद वादी विधि प्रावधानों के तहत खारिज किया जा सकता है इस प्रकार किसी भी पक्षकार का न्यायालय पर हावी नहीं होता है व ना ही किसी पक्षकार को न्यायालय के आदेश की पालना नहीं करने की अनुमति नहीं है। अत: इसी स्तर पर वाद वादी अ० आदेश 9 नियम 5 CPC के प्रावधानों के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली कैफियत पूर्ण कर दर्ज रजिस्टर करके बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 07/01/2020 उपखण्ड अधिकारी [illegible] (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Yadav
Date: 2020.01.07 16:00:05 IST
Reason: SelfAttested